International Journal for Multidisciplinary Research
Plagiarism & Intellectual Property Rights in Digital Age (PIPRDA-2023)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

बौद्धिक संपदा और क़ानून

डा. सविता यादव

सहायक प्रध्यापक, राजनीति विज्ञान

प्रस्तावना

बौद्धिक सम्पदा (Intellectual property) किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, कापीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट आदि को कहते हैं। कोई किसी भौतिक धन (फिजिकल प्रापर्टी) का स्वामी होता है, उसी प्रकार कोई बौद्धिक सम्पदा का भी स्वामी हो सकता है। इसके लिये बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रदान किये जाते हैं। आप अपने बौद्धिक सम्पदा के उपयोग का नियंत्रण कर सकते हैं और उसका उपयोग कर के भौतिक सम्पदा (धन) बना सकते हैं। इस प्रकार बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के कारण उसकी सुरक्षा होती है और लोग खोज तथा नवाचार के लिये उत्साहित और उद्यत रहते हैं। बौद्धिक संपदा कानून के तहत, इस तरह बौद्धिक सम्पदा का स्वामीको अमूर्त संपत्ति के कुछ विशेष अधिकार दियेे है, जैसे कि संगीत, वाद्ययंत्र साहित्य, कलात्मक काम, खोज और आविष्कार, शब्दों, वाक्यांशों, प्रतीकों और कोई डिजाइन.

सामण्ड-

"बौद्धिक संपदा व भौतिक वस्तुएं जो विधि द्वारा मानव प्रवीणता एवं श्रम के अभय थिक उत्पाद के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं। "जैसै -लेखकों की रचनाएं, अविष्कार कर्ताओं के आविष्कार, विचारकों के विचार, संकल्पना एवं साहित्य, संगीत आत्मक कलात्मक, नाट्य, ध्वनी, यांत्रिक, अभिव्यक्तियाँ आदि।

गेट डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स के द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड का गठन किया जाना है। इसकी धारा 11 में वर्णित है कि इसके एक अध्यक्ष तथा 2 से 14 तक सदस्य हो सकते हैं|

इसके अध्यक्ष के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश या उसकी योग्यता रखने वाले व्यक्ति जो वर्तमान में हैं इस तरह की और हटाए रखते हैं| इस पद के योग्य हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात पुनर नियुक्ति का भी प्रावधान है| धारा 12 प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड की शक्तियों का वर्णन करता है|

1. स्वयं प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति
2. कार्यवाही अंचला अनुसार सुनने की शक्ति
3. न्याय पीठ के माध्यम से शक्तियों एवं कृतियों का प्रयोग करने की शक्ति
4. सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति इत्यादि|

प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड के अधिकार-

1. विवाद विनिश्चित करने का अधिकार |
2. प्रतिलिप्याधिकार के समनुदेशन को प्रतिसंहरित करने का अधिकार|
3. रॉयल्टी वसूल करने का आदेश पारित करने का अधिकार|
4. 4.पुनः प्रकाशन करने की अनुज्ञप्ति देने का अधिकार|
5. ऐसी भारतीय कृतियों के प्रकाशन की अनुज्ञा देने का अधिकार जो प्रकाशित हैं|
6. भाषांतर करने तथा उसे प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति देने का अधिकार|
7. कतिपय प्रयोजनों के लिए कृतियों को पुनर उत्पादित करने तथा उन्हें प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति देने का अधिका|
8. प्रतिलिपि अधिक का रजिस्टर को परिशोधन करने का अधिकार|
9. मूल प्रति के पुनः विक्रय की स्थिति में रचयिता का आन सुनिश्चित करने का अधिकार|

10. अपील सुनने का अधिकार।

बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार types of intellectual property rights

1. कॉपीराइट Copyright–
2. पेटेंट Patent
3. ट्रेडमार्क Trademark
4. भौगोलिक Geographical indication

बौद्धिक सम्पदा अधिकार मानव मस्तिष्क के विचारों से उत्पन्न एक उपज हैं। दुनिया के देश, कई सदियों से अपने-अपने अलग कानून बना कर इस मानव मस्तिष्क से उत्पन्न उपज को सुरक्षित करते चले आ रहें हैं। सन १९९५ में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation) बना। Agreement on the Trade related aspect of intellectual property rights (TRIPS) या ट्रिप्स, इस संगठन का एक समझौता है। सारे देश जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, उन्हे इसे मानना है तथा अपने कानून इसी के मुताबिक बनाने हैं। यह संयुक्तराष्ट्र की सबसे पुराने अभिकरणों में से एक है।इसका गठन वर्ष 1967 में किया गया था।इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है।

वर्तमान में 193 देश इस संगठन के सदस्य हैं।भारत वर्ष 1975 में इस संगठन का सदस्य बना था। रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये इसका गठन किया गया था।

कॉपीराइट

कॉपीराइट अधिकार के अंतर्गत किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्रांकन को सम्मिलित किया जाता है।

कॉपीराइट के अंतर्गत दो प्रकार के अधिकार हैं।

1. **आर्थिक अधिकार**: इसके तहत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी कृति का उपयोग करने के बदले वित्तीय पारितोषिक दिया जाता है।

नैतिक अधिकार: इसके अन्तर्गत लेखक/रचनाकार के गैर-आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाता है।
कॉपीलेफ्ट: इसके अंतर्गत कृतित्व की पुनः रचना करने, उसे अपनाने या वितरित करने की अनुमति दी जाती है तथा इस कार्य के लिये लेखक/रचनाकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है।

पेटेंट

कोई आविष्कार होता है तब आविष्कारकर्त्ता को उसके लिये दिया जाने वाला अनन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट दर्ज़ की तिथि से 20 वर्षों के लिये होती है। आविष्कार पूरे विश्व में कहीं भी सार्वजनिक न हुआ हो, आविष्कार ऐसा हो जो पहले से ही उपलब्ध किसी उत्पाद या प्रक्रिया में प्रगति को इंगित न कर रहा हो तथा वह आविष्कार व्यावहारिक अनुप्रयोग के योग्य होना चाहिये, ये सभी मानदंड पेटेंट करवाने हेतु आवश्यक हैं।

ट्रेडमार्क Trademark

मूल रूप से ट्रेडमार्क वो "ब्रांड" या "लोगो(logo)" है जिसका उपयोग आप अपने उत्पाद को अपने प्रतिस्पर्धियों(competitors) से अलग पहचान करने के लिए किया जाता है।

ट्रेडमार्क का आप पंजीकरण भी करवा सकते हैं

एक ऐसा चिन्ह जिससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जा सके, ट्रेडमार्क कहलाता है।ट्रेडमार्क एक शब्द या शब्दों के समूह, अक्षरों या संख्याओं के समूह के रूप में हो सकता है। यह चित्र, चिन्ह, त्रिविमीय चिन्ह जैसे संगीतमय ध्वनि या विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकता है।

औद्योगिक डिज़ाइन

भारत में डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के अनुसार, 'डिज़ाइन' से अभिप्राय है- आकार, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप या अलंकरण, रेखाओं या वर्णों का संघटन जिसे किसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए जो या तो द्वितीय रूप में या त्रिविमीय रूप में अथवा दोनों में हो।

भौगोलिक संकेतक

भौगोलिक संकेतक से अभिप्राय उत्पादों पर प्रयुक्त चिह्न से है। इन उत्पादों का विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान होता है और उस मूल स्थान से संबद्ध होने के कारण ही इनमें विशिष्ट गुणवत्ता पाई जाती है।
विभिन्न कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, मदिरापेय, हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जाता है। तिरुपति के लड्डू, कश्मीरी केसर, कश्मीरी पश्मीना आदि भौगोलिक संकेतक के कुछ उदाहरण हैं।

भारत में वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम, 1999 बनाया गया है। यह अधिनियम वर्ष 2003 से लागू हुआ। इस अधिनियम के आधार पर भौगोलिक संकेतक टैग यह सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत उपयोगकर्त्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस प्रचलित उत्पाद के नाम का उपयोग नहीं कर सकता है।
वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई 'उस्ताद योजना' के माध्यम से शिल्पकारों के परंपरागत कौशल का उन्नयन किया जाएगा। उदाहरण के लिये बनारसी साड़ी एक भौगोलिक संकेतक है। अतः उस्ताद योजना से जुड़े बनारसी साड़ी के शिल्पकारों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की अपेक्षा की जा सकती है।

बौद्धिक संपदा कानून "बौद्धिक संपदा" के रूप में जाने जाने वाले आविष्कारों, लेखन, संगीत, डिजाइन और अन्य कार्यों के रचनाकारों और मालिकों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करने के लिए कानूनों से संबंधित है। बौद्धिक संपदा के कई क्षेत्र हैं जिनमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और व्यापार रहस्य शामिल हैं।

बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु किये गए सरकार के प्रयास

पेटेंट अधिनियम 1970 और पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005: भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1911 में भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम बनाया गया था। पुनः स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1970 में पेटेंट अधिनियम बना और इसे वर्ष 1972 से लागू किया गया। इस अधिनियम में पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 और पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधन किये गए। इस संशोधन के अनुसार, 'प्रोडक्ट पेटेंट' का विस्तार - खाद्य पदार्थ, दवा निर्माण सामग्री आदि के क्षेत्र में इसे विस्तृत किया गया।

- **ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999:** भारत में ट्रेडमार्क के लिये ट्रेडमार्क एक्ट, 1999 बनाया गया है। ट्रेडमार्क एक्ट में शब्द, चिन्ह, ध्वनि, रंग, वस्तु का आकार इत्यादि शामिल किया जाता है।
- **कॉपीराइट अधिनियम, 1957:** वर्ष 1957 में कॉपीराइट अधिनियम बनाकर, बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिये इस कानून को देशभर में लागू किया गया।
- **वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999:** यह कानून सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत उपयोगकर्त्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस प्रचलित उत्पाद के नाम का उपयोग न कर सके।
- **डिज़ाइन अधिनियम, 2000:** सभी प्रकार की औद्योगिक डिज़ाइन को संरक्षण प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, 2016:** 12 मई, 2016 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंज़ूरी दी थी। इस अधिकार नीति के जरिये भारत में बौद्धिक संपदा को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाता है। इस नीति के तहत सात लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं-
- **पेटेंट अधिनियम 1970 और पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005:** भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1911 में भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम बनाया गया था। पुनः स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1970 में पेटेंट अधिनियम बना और इसे वर्ष 1972 से लागू किया गया। इस अधिनियम में पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 और पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधन किये गए। इस

संशोधन के अनुसार, 'प्रोडक्ट पेटेंट' का विस्तार तकनीक के सभी क्षेत्रों तक किया गया। उदाहरणस्वरुप- खाद्य पदार्थ, दवा निर्माण सामग्री आदि के क्षेत्र में इसे विस्तृत किया गया।

- **ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999:** भारत में ट्रेडमार्क के लिये ट्रेडमार्क एक्ट, 1999 बनाया गया है। ट्रेडमार्क एक्ट में शब्द, चिन्ह, ध्वनि, रंग, वस्तु का आकार इत्यादि शामिल किया जाता है।
- **कॉपीराइट अधिनियम, 1957:** वर्ष 1957 में कॉपीराइट अधिनियम बनाकर, बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिये इस कानून को देशभर में लागू किया गया।
- **वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999:** यह कानून सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत उपयोगकर्त्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस प्रचलित उत्पाद के नाम का उपयोग न कर सके।
- **डिज़ाइन अधिनियम, 2000:** सभी प्रकार की औद्योगिक डिज़ाइन को संरक्षण प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, 2016:** 12 मई, 2016 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंज़ूरी दी थी। इस अधिकार नीति के जरिये भारत में बौद्धिक संपदा को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाता है। इस नीति के तहत सात लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं-

भारतवर्ष मे **निम्न आठ अधिनियम** के अन्दर बौद्धिक सम्पदा अधिकार सुरक्षित किये गये हैं

The Biological Diversity Act, 2002
The Copyright Act, 1957 (कॉपीराइट)
The Design Act, 2000.
The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999.
The Patents Act, 1970.
The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001.
The semiconductor Integrated circuits Layout design Act, 2000.
The Trade Marks Act, 1999.

इनके अलावा दो और क्षेत्र निम्न क्षेत्र हैं जिनके अन्दर बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है, वह हैं

ट्रेड सीक्रेट

सविंदा कानून (Contract Act)

निष्कर्ष

भारत को अपने सम्पूर्ण बौद्धिक संपदा ढाँचे में परिवर्तन लाने व विकास के लिये अभी और काम करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं मज़बूत बौद्धिक संपदा मानकों को लगातार लागू करने के लिये गंभीर कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की औद्योगिक विकास संस्था ने अपने एक अध्ययन के द्वारा यह प्रमाणित किया है कि जिन देशों की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था सुव्यवस्थित वहाँ आर्थिक विकास तेज़ी से हुआ है। अतः यहाँ सुधार की आवश्यकता है।

भारत को 'पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क्स और भौगोलिक संकेतक महानियंत्रक' को चुस्त एवं दुरुस्त बनाने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ

1. https://www.boy.AC.in.
2. https://www.Wipro.int.
3. https://www.scothuzz.org.